न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 08/2014

1. सायर सिंह पुत्र श्री गाजी सिंह मेहरात
2. हरी सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति मेहरात निवासी मसूदा

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. रहमान पुत्र श्री मोती जाति चीता निवासी अडवाणिया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :– दिनांक 25.06.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 3445 रकबा 03–05–00 व 3446 रकबा 03–10–00व 3447 रकबा 05–05–00 भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी सं0 1, 2 के मध्य विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करने के अप्रार्थी सं0 2 पर आदेश जारी किये जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय मसूदा द्वितीय पर पेश होने पर प्रार्थीगण अपने अभिभाषक महोदय के साथ उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मसूदा द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता सं0 119, 120, 620 में प्रश्नगत अराजी खसरा सं0 3445 रकबा 03–05–00 व 3446 रकबा 03–10–00 व 3447 रकबा 05–05–00 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार मसूदा पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रश्नगत अराजी का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मसूदा को रु. 1500/– कमीशन पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह मौजा मसूदा द्वितीय स्थित अराजी न0 3445 रकबा 03–05–00 व 3446 रकबा 03–10–00 व 3447 रकबा 05–05–00 बीघा का उभयपक्षान की उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 25.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम मसूदा पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला ... मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:36:14 IST
Reason: SelfAttested